Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटपूतली–बहरोड़ में पुलिस थाना सदर बहरोड़ के थानाधिकारी एवं कानिस्टेबल आई–फोन का पैकेट रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *01 जून, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज कोटपूतली–बहरोड़ में कार्यवाही करते हुये **राजेश कुमार उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी एवं अजीत सिंह कानिस्टेबल, पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़** को परिवादी से **आई–फोन का पैकेट** रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुलिस थाना सदर बहरोड़ पर दर्ज प्रकरण में मदद करने एवं मुलजिम नहीं बनाने की धमकी देकर राजेश कुमार उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी द्वारा एक आई–फोन दिलवाने एवं अजीत सिंह कानिस्टेबल, पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा 15 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील सिहाग** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज भारद्वाज** द्वारा मय टीम के कोटपूतली–बहरोड़ में कार्यवाही करते हुए राजेश कुमार उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी एवं अजीत सिंह कानिस्टेबल, पुलिस थाना सदर बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को **एक आई–फोन को पैकेट** रिश्वत के रूप में लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि कार्यवाही के दौरान आरोपी कानिस्टेबल अजीत सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि के रूप में मांगे गये **15 हजार रुपये** बाद में लेने के लिये कहा, इसलिये रिश्वत राशि का आदान–प्रदान नहीं हो सका।

एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के निर्देशन में आरापियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**